6.10.2021

पत्रावली पैश हुई। वादी मय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर इस मौजूदा वादपत्र में अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए अनुरोध किया कि वादपत्र को विड्रो किये जाने की आज्ञा दी जावें साथ ही यह भी निवेदन किया कि विड्रो पश्चात आवश्यकता होने पर दावा दुबारा प्रस्तुतिकरण की भी अनुमति दिलाई जावें।

वादी पक्ष को सुना गया। पत्रावली के अद्योपांत अवलोकन पश्चात न्यायालय यह उचित समझता है कि इस वादपत्र में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। इसे आगे चलाया जाना न्यायोचित नही है।

अतः वादी के वादपत्र को इसी स्तर पर प्रत्याहरित किये जाने की स्वीकृति के साथ आवश्यक होने पर दुबारा प्रस्तुतिकरण की भी अनुमति भी न्यायालय प्रदत्त करता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2024.02.12 10:14:11 IST
Reason: SelfAttested